

संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश

(आधार तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in

Office (0755) 2571187

Fax(0755)2760225

क्रमांक/एफ /2025/02/स्था./2008-16

भोपाल, दिनांक: 29/08/2025

//आदेश//

श्री गोविंद डावर, आयुर्वेद कम्पाउण्डर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय धुलकोट, जिला खरगोन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रथम संविदा नियुक्ति से नियमितिकरण सहित समस्त वित्तीय लाभ हेतु याचिका क्रमांक 39372/2024 श्री रामेश्वर कासड़े विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है।

2/ उक्त दायर याचिका में मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दिनांक 13/12/2024 को निर्णय पारित किया गया। निर्णय का सार इस प्रकार है:-

Considering the aforesaid and the order passed by co-ordinate Bench in the case of Mrs.Roshan Patel, Mrs.Roshan Patel (supra) the present petition is disposed off with liberty to the petitioner to submit a representation alongwith the relevant record and copy of the Court orders before the respondent No.3 within period of 30 days from today and if such representation is submitted the same shall be considered and decided by the said authority in accordance with law within period of two months from the date of filing of copy of the representations by passing a reasoned and speaking order.

03/ प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि:-

3.1/ श्री गोविंद डावर, आयुर्वेद कम्पाउण्डर द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 14/12/2024 से उनके द्वारा प्रथम संविदा सेवा दिनांक से नियमितिकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

3.2/ म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क.एफ 2-3/97/चि.शि/2/55, दिनांक 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अलिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों व पूर्ति संविदा के आधार पर करने के अधिकार जिला पंचायतों को सौंपे गए।

3.3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरगोन के आदेश से श्री गोविंद डावर को प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक 09/10/2002 में आयुर्वेद कम्पाउंडर पद पर निश्चित मासिक वेतन रु. 2200/- पर संविदा पर की गई।

- 3.4/ शासन आदेश क्रमांक-एफ 2-10/2009/1/आयुष, दिनांक 02/02/2009 के अनुक्रम में श्री गोविंद डावर को संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी भोपाल म0प्र0 के आदेश दिनांक 19.02.2009 से नियमित किया गया।
- 3.5/ शासन आदेश क्रमांक एफ 2-3/09/1/59, दिनांक 16/07/09 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के परीक्षणोपरांत धार, झाबुआ एवं खरगोन के पात्र आयुर्वेदिक कम्पाउण्डरों के प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त प्रकरण खरगोन जिले का है। प्रकरण में अवमानना याचिका क्रमांक 1394/25 दायर हो चुकी है।

अतः याचिका क्रमांक 39372/2024 श्री गोविंद डावर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2024 के परिपेक्ष्य में श्री गोविंद डावर, आयुर्वेद कम्पाउण्डर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय धुलकोट, जिला खरगोन के अभ्यावेदन दिनांक 14/12/2024 को मान्य करते हुए उन्हें प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक 09/10/2002 से नियमितीकरण एवं तत्संबंधी लाभ की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त आदेश माननीय न्यायालय निर्णय के परिपेक्ष्य में जारी किया गया है। इस आदेश को अन्य समान प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण के प्रकरणों में उदाहरण न माना जावे।


(आर उमा महेश्वरी)
आयुक्त
संचालनालय, आयुष

क्रमांक/एफ /2025/02/स्था./2009-16

भोपाल, दिनांक: 29 /08/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01/ श्री रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इंदौर, म.प्र.।
- 02/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
- 03/ संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग इंदौर म.प्र.।
- 04/ जिला आयुष अधिकारी खरगोन, म.प्र.।
- 05/ कोर्ट संपर्क अधिकारी इंदौर, जिला कार्यालय इंदौर, म.प्र.।
- 06/ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, खरगोन म.प्र.।
- 07/ श्री गोविंद डावर, आयुर्वेद कम्पाउण्डर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय धुलकोट, जिला खरगोन म.प्र.।


आयुक्त
संचालनालय, आयुष